पटना में दिनांक–03 नवम्बर, 2021 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	ऊर्जा विभाग		
1.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम, 2013 की धारा–99 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य के कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैंती (भागलपुर) में ताप विद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना के अधिष्ठापन की स्वीकृति एवं विभागीय संकल्प संख्या–4852 दिनांक–21.12.2010 को इस हद तक संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**1.**	**स्वीकृत।**
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
2.	भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराए जाने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रस्तावित ''परीक्षा परिसर'' के निर्माण हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 की कंडिका–88 के आलोक में फर्श क्षेत्र अनुपात (FAR) एवं पार्किंग के प्रावधानों के शिथिलीकरण की स्वीकृति के संबंध में।	**2.**	**स्वीकृत।**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
3.	दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा सदर अंचल के वार्ड नं०–28 की 34.4072 हेक्टेयर, वार्ड नं०–29 की 22.6367 हेक्टेयर तथा वार्ड नं०–30 की 13.7197 हेक्टेयर अर्थात कुल रकबा–70. 7636 हेक्टेयर या 174.8600 एकड़ भूमि तथा बहादुरपुर अंचल के मौजा–बलभद्रपुर, थाना नं०–534 की रकबा–25. 1600 एकड़ भूमि, सम्पूर्ण रकबा का योग– 200.02 एकड़ भूमि सभी संरचना सहित (दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के लिए अर्जित है) (भूमि विवरणी–परिशिष्ट–I संलग्न) AIIMS स्वरूप संस्थान की स्थापना हेतु भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।	**3.**	**स्वीकृत।**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
4.	बक्सर जिलान्तर्गत अंचल–नावानगर, मौजा–वारालेव, थाना नं०–447, खाता नं०–42, खेसरा नं०–332, रकबा– 12.00 एकड़, किस्म जमीन–जंगल, रैयत–अनावाद बिहार सरकार को दुर्लभ कृष्ण मृग के संरक्षण हेतु इनके अधिवास एवं विकास अभ्यारण्य निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू–हस्तान्तरण के संबंध में।	**4.**	**स्वीकृत।**

विधि विभाग

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में स्थानांतरित न्यायाधीश एवं माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नत (elevated) होने वाले न्यायाधीशों के उपयोग हेतु कुल 8(आठ) नई गाड़ियों के क्रय किये जाने के निमित्त कुल 2,30,74,000/–(दो करोड़ तीस लाख चौहत्तर हजार) रूपये के बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। **5. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. राज्य के शहरी क्षेत्रों एवं इससे सटे शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से 20 आयोजना क्षेत्रों यथा–बक्सर आयोजना क्षेत्र, किशनगंज आयोजना क्षेत्र, कटिहार आयोजना क्षेत्र, सासाराम आयोजना क्षेत्र, डेहरी आयोजना क्षेत्र, मोतिहारी आयोजना क्षेत्र, औरंगाबाद आयोजना क्षेत्र, हाजीपुर आयोजना क्षेत्र, जमुई आयोजना क्षेत्र, सिवान आयोजना क्षेत्र, बेतिया आयोजना क्षेत्र, बगहा आयोजना क्षेत्र, लखीसराय आयोजना क्षेत्र, खगड़िया आयोजना क्षेत्र, अररिया आयोजना क्षेत्र,फारबिसगंज आयोजना क्षेत्र, सीतामढ़ी आयोजना क्षेत्र, भभुआ आयोजना क्षेत्र, मधुबनी आयोजना क्षेत्र एवं शिवहर आयोजना क्षेत्र की घोषणा की स्वीकृति के संबंध में। **6. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के गठन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। **7. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2021–22 में महिला चरखा समिति, कदम कुआँ, पटना के उत्पादन–सह–प्रशिक्षण केन्द्र भवन निर्माण हेतु ₹672.44 लाख मात्र एवं कार्पस फंड के रूप में ₹200.00 लाख मात्र अर्थात् कुल ₹872.44 लाख (आठ करोड़ बहत्तर लाख चौवालीस हजार रूपये) मात्र का BCF (बिहार आकस्मिकता निधि) अग्रिम के माध्यम से सहायक अनुदान की राशि की स्वीकृति के संबंध में। **8. स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

9. सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 199वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। **9. स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

10. माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा एवं माननीय सचेतकगण, बिहार विधान सभा के व्यवहारार्थ कुल 06 गाड़ियाँ क्रय करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1,13,00,000/–(एक करोड़ तेरह लाख) रूपये मात्र अग्रिम एवं व्यय हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — **10. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

11. डा० अनिता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, किशनगंज को दिनांक–24.05.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

12. डा० महेन्द्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवहट्टा, सहरसा को दिनांक 03.06.2005 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में संकल्प सं०–939(9) दिनांक–30.10.2021 द्वारा सेवा से बर्खास्त किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

13. डा० संजय कुमार गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कटिहार को दिनांक–07.12.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

14. खरीफ विपणन मौसम 2021–22 एवं रबी विपणन मौसम 2022–23 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 5000 (पाँच हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं एतदर्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्त्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

15. दिनांक–01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

16. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

17. सुश्री सुप्रिया गोस्वामी, परीक्ष्यमान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अररिया को तत्काल प्रभाव से सेवाच्यूति करने के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

18. बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न मदों में प्रस्तावित शुल्क की स्वीकृति के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

20. विभागीय सॉफ्टवेयर–VATMIS Application के लिए अगले तीन वर्षों (दिनांक–23.08.2020 से 22.08.2023 तक) हेतु मेसर्स टी॰सी॰एस॰ द्वारा वार्षिक रख–रखाव [Annual Maintenance Charges (AMC)] के नवीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर टी॰सी॰एस॰ को देय कुल राशि रू० 2,70,89,040/–(दो करोड़ सत्तर लाख नवासी हजार चालीस मात्र) एवं इस पर बेल्ट्रॉन को देय मार्जिन एवं कर की राशि की स्वीकृति देने के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

21. राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, औरंगाबाद का पूर्व में कराये गये निर्माण के Quantity एवं माप के समतुल्य भवन निर्माण विभाग द्वारा लिए गए निर्णय तथा वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में वर्त्तमान अनुसूचित दर पर आंकलित राशि कुल ₹8,05,96,577/– (आठ करोड़ पाँच लाख छियानवे हजार पाँच सौ सतहत्तर रूपया) मात्र की राशि मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, औरंगाबाद से प्राप्त कर उद्योग विभाग के बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना, बिहार द्वारा संगत पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत ''घटायें वापसियाँ'' में कोषागार के माध्यम से जमा कराने की स्वीकृति। — **21 स्वीकृत।**

<u>गृह विभाग</u>
(विशेष शाखा)

22.	लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक–18.03.74 से 21.03.77 तक की अवधि में हुए आन्दोलन में मीसा/डी॰आई॰आर॰ के अधीन एक माह से छः माह एवं छः माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान हेतु लागू ''जे०पी०सम्मान योजना'' के तहत् देय पेंशन की दरों में बढ़ोतरी के संबंध में।	**22**	**स्वीकृत।**

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

23.	खरीफ विपणन मौसम, 2021–22 के अन्तर्गत राज्य में धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों, यथा, व्यावसायिक बैंकों, नाबार्ड, आदि, से त्रैमासिक MCLR दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 9000.00 करोड़ (नौ हजार करोड़) रूपये की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।	**23**	**स्वीकृत।**

<u>अल्पसंख्यक कल्याण विभाग</u>

24.	Welfare Institutions and Hostels Scheme के तहत निःशुल्क खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासित सभी छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह 09Kg चावल एवं 06Kg गेहूँ की आपूर्ति के संबंध में।	**24**	**स्वीकृत।**